न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—200/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/200)

1. घासी पुत्र गुल्ला जाति जाट निवासी बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी टील्यावास तहसील जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1. सुन्दर देवी पुत्री गुल्ला पत्नी लादूराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर ।
2- तहसीलदार, तहसील मौजगाबाद जिला जयपुर राजस्थान।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.07.2016 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)दूदू, राजस्व वाद संख्या 141/2014

उपस्थितः—

1. श्री, बलवंत सिंह अभिभाषक अपीलांट
2. श्री, मुकेश चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 2

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर कैम्प दूदू

निर्णय

दिनांकः—23.9.2022

1. यह अपील न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 141/2014_ में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 14.07.2016 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा एक वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर निवेदन किया की आराजी जमाबंदी संवत् 2070—2073 के आराजी खाता संख्या 17 के आराजी खसरा नम्बर 80 रकबा 1.0000 हैक्टर खसरा नम्बर 92 रकबा 1.3300 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.3300 हैक्टर व खाता संख्या 18 के आराजी खसरा नम्बर 74 रकबा 2.1500 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 2.1500 हैक्टर, खतौनी संख्या 40 के आराजी खसरा नम्बर 81 रकबा 9.2200 हैक्टर खाता संख्या 96 के आराजी खसरा नम्बरी 78 रकबा 1.0000 हैक्टर खाता संख्या 97 के आराजी खसरा नम्बर 79 रकबा 2.5700 हैक्टर खतौनी संख्या 114 के आराजी खसरा

नम्बर 77 रकबा 1.08 हैक्टर खतौनी संख्या 115 के आराजी खसरा नम्बर 73 रकबा 0.0400 हैक्टर खाता संख्या 116 के आराजी खसरा नम्बर 76 रकबा 1.1900 हैक्टर भूमि वाके ग्राम रामपुरा उर्फ भूरटिया तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज हिस्से में वादीनी 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात प्रतिवादी द्वारा पैतृक आराजीयात को बैचान कर क्रय किया जाना बताया वादीनी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने वाद में आगे उल्लेखित किया कि पैतृक आराजी जो बगरू खुर्द में स्थित थी का नामांतकरण दिनांक 4.01.1964 को प्रतिवादी/अपीलार्थी ने अकेले ने तस्दीक करवा लिया एवं आराजीयात को बैचान कर दिया जिसकी जानकारी वादिया को नहीं है। वादिया को जब जानकरी हुई तो प्रतिवादी ने उसे क्रय शुदा आराजीयात नाम लगाने का आश्वासन दिया परन्तु दिनांक 20.07.2014 को साफ इंकार हो गया इसलिए यह वाद प्रस्तुत किया गया। वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी/अपीलार्थी की तामिल जारी की गई जो कि ग्राम बगरू खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर के पते पर जारी की गई परंतु प्रतिवादी/अपीलार्थी लगभग 20 वर्षो से ग्राम टील्यावास में रह रहा है जिससे अपीलार्थी को प्रोपर तामिल नहीं हो पाई तथा अपीलार्थी की अखबार प्रकाशन से तामिल प्रोपर मानते हुए एकतरफा कार्यवाही की गई एवं साक्ष्य वादी लेकर एक पक्षीय डिक्री एवं निर्णय पारित कर दिया। इन उक्त कारणों से अपीलांट माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करता है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि उपरोक्त प्रकरण में जो गुणावगुण में त्रुटि है के बाबत केवल अपील के माध्यम से उज्र उठाया जा सकता है प्रश्नगत प्रकरण में निर्णय एवं डिक्री पूर्णतया विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकार से परे हैं इन सभी तथ्यों को अपील के माध्यम से चुनौती दिया जाना विधि अनुसार आवश्यक है परंतु अपीलार्थी के पूर्व अधिवक्ता द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं की गई अपीलार्थी द्वारा जब संपूर्ण दस्तावेज अपने वर्तमान अधिवक्ता को दिखाए गए तो उनके द्वारा अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी गई। इस पर अपीलार्थी द्वारा निर्णय एवं डिक्री की नकल दिनांक 06.07.2022 को लेकर यह अपील यथाशीघ्र प्रस्तुत कर दी गई है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई उक्त सदभाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को अंदर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील बहस में कथन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 5 में दी गई तामिल की प्रक्रिया के पूर्ण तय विरूद्ध जाकर एक तरफा कार्यवाही की गई है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पते बगरू खुर्द की तामिल को प्रोपर माना है जबकि विधि अनुसार जहां आराजीयात स्थित है वहां के स्थानीय पते पर भी तामिल जारी करनी चाहिए ऐसा नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गंभीर त्रुटि कारित की है। प्रश्नगत आदेश नॉन स्पीकिंग ओदश है जिसमें कही भी यह उल्लेखित नहीं है कि न्यायालय द्वारा किस प्रकार आराजीयात को संयुक्त परिवार की माना है। तथा संयुक्त परिवार में क्या विवाहित पुत्री सम्मिलित है यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है। माननीय

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की क्रय शुदा आराजीयात में वादिया का 1/2 हिस्सा किस विधि के अंतर्गत माना है यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है न ही विधि में ऐसा कोई प्रावधान है कि क्रय शुदा आराजीयात में बहन को हिस्सा दे दिया जावे। बगरू खुर्द की आराजीयात बाबत यदि वादीनी का कोई अधिकार बनता था तो न्यायालय केवल संबंधित आराजीयात के संदर्भ में ही घोषणा की डिक्री पारित कर सकता है अनयत्र स्थित आराजीयात के संदर्भ में नहीं इसलिए भी प्रश्नगत निर्णय एवं डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि आराजीयात पैत्रक आराजीयात को बैचान कर उससे प्राप्त आय से खरीदी गई है। इसे बावजूद केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.7.2016 को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावे।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रार्थना–पत्र में जो देरी के कारण अंकित किये है जो संतोषप्रद नहीं है तथा अंकित कारण मनगढ़त बनाये गये हैं इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गई। दिनांक 10.12.2014 को वादिनी की ओर से श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा, प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 08.09.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 की तलबी जरिए अखबार साया करवाने हेतु वकील वादिनी को आदेशित किया गया। दिनांक 12.10.2015 को वकील वादिनी द्वारा अखबार की प्रति पेश की, शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 30.11.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध बावजूद अखवार साया तलबी न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2 ने फोर्मल पक्षकार होने के कारण जवाब प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया, जवाब बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। दिनांक 04.01.2016 को वकील वादी ने पी.डब्ल्यू–1 सुन्दर देवी, पी.डब्ल्यू–2 रामगोपाल, पी.डब्ल्यू–3 रामजीलाल के शपथ पत्र पेश किए, शामिल पत्रावली किए गए। पी.डब्ल्यू–1 लगायत पी.डब्ल्यू–3 के बयान लिए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2016 विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाए जाने के आदेश प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के जो कारण अंकित किये है जो संतोष जनक होने के कारण न्यायहित में स्वीकार करना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

9. गुणावगुण पर पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट के द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के आदेश दिनांक 14.07.2016 के विरूद्ध

प्रस्तुत की है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्टतया यह तथ्य सामने आता है कि प्रतिवादी/अपीलार्थी की तामिल जारी की गई जो कि ग्राम वगरू खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर के पते पर जारी की गई परंतु प्रतिवादी/अपीलार्थी लगभग 20 वर्षो से ग्राम टील्यावास में रह रहा है जिससे अपीलार्थी को प्रोपर तामिल नहीं हो पाई तथा अपीलार्थी की अखबार प्रकाशन से तामिल प्रोपर मानते हुए एकतरफा कार्यवाही की गई एवं साक्ष्य वादी लेकर एक पक्षीय डिक्री एवं निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट के उक्त विवादित आराजियात में हक निहित है एवं माननीय उच्चतर न्यायालयों ने अपने अनेकों निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि जहां वाद में हक, हिस्सों का निर्धारण होना होता है वहां एकपक्षीय कार्यवाही से पक्षकारान के हित प्रभावित होते है। अधनीस्थ न्यायालय ने अपीलांट के प्रोप्रर पते पर तामिली नहीं करवा कर अन्य पते पर तामिल की गई है, जो विधि सम्मत नहीं है तथा प्रतिवादी/अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया जाना उचित है। अतः न्यायहित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 14.07.2016 को खारिज किया जाकर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझतें है कि वे वाद में उभयपक्षकारान को जवाब, साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद का निस्तारण करें।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है।अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2016 खारिज किया जाता है एवं प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को जवाब, साक्ष्य, एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करें। उभयपक्षकारान को दिनांक 06.10.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 23.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर